National River Action Programme

1600. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to undsrtalce 'National River Action Prog ramme' in order to clean all main rivers of the country;

(b) if to, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS ; (SHRI NILAMANI ROUTRAY); (a) A concept paper for a 'National River Action Programme' has been prepared.

(b) The plan broadly outlines the various components such as scope, functions, organisational framework, modalities of implementation of the Programme.

(c) Does, not arise.

औद्योगिक परियोजनाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से निगरानी

1601. श्री अजीत जोगी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है इस समय किसी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय दृष्टि से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है और इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने के बाद पर्यावरणीय दृष्टि से इन पर निरन्तर निगरानी रखने के लिये कोई कानून, नियम या व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पर्यावरणीय दृष्टि से इन परियोजनाओं पर निरन्तर निगरानी रखने के लिये इस समय कौन-कौन से प्रावधान हैं और ये कहां तक प्रभावी सिद्ध हुए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) समय-समय पर यथा संशोधित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार सभी उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति के रूप में पूर्व अनुमति लेनी होती है । इसके अलावा, उद्योगों के चुने हुए समूह को राज्य/केन्द्रीय प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होती है और उनको राज्य और केन्द्र सरकार को यह वचन देना होता है कि वे प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिये उचित उपकरण लागयेंगे और निर्धारित उपाय करेंगे । स्वीकृति की शर्तों के कार्यान्वयन की देख-रख और निगरानी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है । दोषियों के खिलाफ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 सहित संगत अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते समय मंत्रालय द्वारा यह शर्त लगाई जाती है कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाय । इसके अलावा मंत्रालय ने हाल ही में मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्वीकृति की शर्तों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिये छः क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं ।

अखिल भारतीय सेवाओं की संवर्ग समीक्षा

1602. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं की नियमित संवर्ग समीक्षा के लिये कोई प्रावधान है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिये संवर्ग समीक्षा अंतिम बार कब की गई थी और उसका परिणाम क्या निकला ?

प्रधान मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तीन अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के 21 संवर्गों की अंतिम बार समीक्षा की गई थी तथा संशोधित संवर्ग अनुसूचियों को संलग्न विवरण के अनुसार अधिसूचित किया गया था। इन अधिसूचनाओं को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जा चुका है।

विवरण

अधिसूचनाओं के जारी होने का वर्ष

क्रम सं०	संवर्ग का नाम	भा०प्र०से०	भा०पु०से०	भा०व०से०
1	आंध्र प्रदेश	1986	1988	1986
2	ए०जी०एम०यू०	1990	1990	1985*
3	असम-मेघालय	1986	1988	1988
4	बिहार	1988	1989	1987
5	गुजरात	1989	1989	1986
6	हरियाणा	1989	1989	1981
7	हिमाचल प्रदेश	1988	1988	1986
8	जम्मू तथा कश्मीर	1990	1986	1974
9	कर्नाटक	1987	1988	1989
10	केरल	1990	1988	1987
11	मध्य प्रदेश	1989	1988	1984
12	महाराष्ट्र	1989	1984	1986
13	मणिपुर-त्रिपुरा	1988	1988	1985
14	नागालैंड	1988	1986	1986
15	उड़ीसा	1987	1989	1987
16	पंजाब	1989	1990	1989
17	राजस्थान	1987	1988	1987
18	सिक्किम	1988	1986	1987
19	तमिल नाडु	1989	1989	1986
20	उत्तर प्रदेश	1987	1988	1986
21	पश्चिम बंगाल	1988	1987	1987

*यह संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के रूप में जाना जाता है।